



CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS) 2023 रिपोर्ट जारी की

प्रलिस के लिये:

नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (NTRS), विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO), कार्गो रिलीज़ समय

मेन्स के लिये:

भारत में TFA और सीमा पार व्यापार पर इसका प्रभाव, भारत में व्यापार करने में आसानी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुल्क बोर्ड \(CBIC\)](#) ने [नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी \(NTRS\) 2023 रिपोर्ट](#) जारी की है, जो भारत में वभिन्न बंदरगाहों पर [कार्गो रिलीज़ समय](#) को मापती है।

- इस रिपोर्ट का उद्देश्य [राष्ट्रीय व्यापार सुवधा कार्य योजना \(NTFAP\)](#) लक्ष्यों की दशा में की गई प्रगति का आकलन करना, वभिन्न व्यापार सुवधा पहलों के प्रभाव की पहचान करना और रिलीज़ समय में अधिक तीव्रता से कमी लाने हेतु चुनौतियों की पहचान करना है।
- यह अध्ययन **1 से 7 जनवरी, 2023 की नमूना अवधि** के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ष 2021 और वर्ष 2022 की समान अवधि के दौरान नषिपादन की तुलना की गई थी।
- अध्ययन में शामिल बंदरगाहों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACC), अंतरदेशीय कंटेनर डपि (ICD) एवं एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का प्रतनिधित्व करते हैं। ये प्रवषिटिबलियों का लगभग 80% तथा देश में दाखलि कयि गए शपिगि बलियों का 70% हैं।

कार्गो रिलीज़ का समय:

- कार्गो रिलीज़ समय को सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से आयात के मामले में घरेलू नकिसी हेतु इसके आउट-ऑफ-चारज तक और सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्गो के आगमन से नरियात के मामले में वाहक के अंतमि प्रस्थान तक लगने वाले समय के रूप में परभाषति कयि गया है।
- कार्गो रिलीज़ समय व्यापार दक्षता और व्यापार करने में आसानी का एक प्रमुख संकेतक है, क्योंकि यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं एवं सीमा पार व्यापार में शामिल अन्य नयामक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- [विश्व सीमा शुल्क संगठन \(World Customs Organization- WCO\)](#) द्वारा अनुशंसति एक प्रदर्शन माप उपकरण, टाइम रिलीज़ स्टडी (TRS) का उपयोग करके कार्गो रिलीज़ समय को मापा जाता है।

NTRS 2023 की मुख्य वशिषताएँ

- आयात नरिगमन समय में सुधार:
 - वगित वर्षों की तुलना में औसत आयात नरिगमन समय में सुधार दखिा है।
 - ICD के लयि नरिगमन समय में **20% की कमी**, ACC के लयि **11% की कमी** और वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में बंदरगाहों में **9% की कमी** देखी गई।
 - बंदरगाहों के लयि पूरण रूप से आयात नरिगमति करने का समय 85 घंटे और 42 मनिट है, ICD के लयि 71 घंटे और 46 मनिट है, ACC के लयि 44 घंटे और 16 मनिट है और ICP के लयि 31 घंटे और 47 मनिट है।
 - मानक वचिलन का कम माप आयातति कार्गो के शीघर नरिगमन को अधिकि सुनश्चिति करता है।
- 'पाथ टू प्रापटनेस' की पुनः पुषटि:
 - NTRS 2023 के नषिकरष त्रसितरीय 'पाथ टू प्रापटनेस' सामरकि नीत के महत्त्व की पुषटि करते हैं।
 - इस रणनीत में आगमन-पूर्व प्रसंस्करण हेतु आयात दस्तावेजों की अग्रमि फाइलिगि, कार्गो की जोखमि-आधारति सुवधा तथा वशिषसनीय ग्राहक कार्यक्रम- अधिकृत आर्थकि ऑपरेटरों के लाभ शामिल हैं।
 - कार्गो जो 'पाथ टू प्रापटनेस' के तहत सभी तीन वशिषताओं को शामिल करते हैं जिसमें सभी बंदरगाह श्रेणियों में [राष्ट्रीय व्यापार सुवधा कार्य योजना \(NTFAP\)](#) अपने नरिगमन समय पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।

■ नरियात नरिगमन समय पर फोकस:

- NTRS 2023 ने नरियात के लिये नरिगमन समय को मापने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है।
- अध्यायन नयामक मंजूरी (नरिगमन सीमा शुल्क) और भौतिक नकिसी के बीच अंतर की पहचान करता है।
 - नयामक मंजूरी लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (LEO) के अनुदान के साथ पूरी की जाती है, जबकि भौतिक मंजूरी रसद प्रक्रियाओं के पूरा होने तथा माल के साथ वाहक के प्रस्थान पर होती है।

NTRS 2023 के लिये सूचना स्रोत:

NTRS 2023 वभिनिन स्रोतों से एकत्र किये गए डेटा पर आधारित है, जैसे कि ICEGATE पोर्टल, बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क के बचौलिये और इसमें भाग लेने वाली सरकारी संस्थाएँ (PGA)।

- NTRS 2023 में वभिनिन हतिधारकों, जैसे- नरियातकों, आयातकों, व्यापार संघों और वाणजिय मंडलों से प्राप्त प्रतिक्रिया भी शामिल है।
- NTRS 2023 को WCO TRS कार्यप्रणाली के साथ संरेखित किया गया है और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन भी किया जाता है।

NTRS 2023 के लाभ:

- NTRS 2023 भारत में वभिनिन बंदरगाहों पर कार्गो रलीज़ समय प्रदर्शन का व्यापक और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करता है।
- NTRS 2023 वैश्विक मानकों के वृद्धि सुधार और बेंचमार्क के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है।
- NTRS 2023 व्यापार क्षमता और प्रतिसिपर्द्धात्मकता बढ़ाने वाले व्यापार सुगमता उपायों के साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
- NTRS 2023, NTFAP लक्ष्यों को प्राप्त करने और [वशिव व्यापार संगठन व्यापार सुविधा समझौते](#) के अंतर्गत भारत की प्रतबिद्धताओं को पूरा करने में योगदान देता है।

राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (National Trade Facilitation Action Plan-NTFAP):

- NTFAP का उद्देश्य भारत में WTO के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) के प्रावधानों को लागू करना है।
- TFA सीमा पार व्यापार के लिये सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और मानदंडों के सरलीकरण पर केंद्रित है।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (NCTF) द्वारा NTFAP तैयार किया गया था।
 - इसमें भारत के नीतित उद्देश्यों के अनुरूप कार्यान्वयन के लिये समय-सीमा के साथ 90 से अधिक वशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं।
- NTFAP में अग्रिम आयात दस्तावेज़ फाइलिंग, जोखिम-आधारित कार्गो सुविधा, वशि्वसनीय ग्राहक कार्यक्रम, अवसंरचना उन्नयन, वधियायी मुद्दे, आउटरीच कार्यक्रम और एजेंसी समन्वय जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- NTFAP व्यापार लागत कम करता है, दक्षता में वृद्धि करता है, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करता है और भारत की TFA प्रतबिद्धताओं को पूरा करता है।

लॉजिस्टिक से संबंधित पहलें:

- पीएम गति शक्ति योजना
- [माल का बहुवधि परिवहन अधिनियम, 1993](#)
- पीएम गति शक्ति योजना
- [मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क](#)
- [लीड्स \(LEADS\) रिपोर्ट](#)
- [डेडकिटेड फ्रेट कॉरिडोर](#)
- [सागरमाला प्रोजेक्ट्स](#)
- [भारतमाला परियोजना](#)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड:

- यह वक्ति मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिससा है।
- GST लागू होने के बाद वर्ष 2018 में [सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज़ एंड कस्टम्स \(CBEC\)](#) का नाम बदलकर [CBIC](#) कर दिया गया।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय GST (CGST) और एकीकृत GST (IGST) के लेवी तथा संग्रह से संबंधित नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है।
 - GST कानून में (i) केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (iii) केंद्रशासित प्रदेश

वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 (iv) एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (v) वस्तु तथा सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधिनियम, 2017 शामिल हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cbic-releases-national-time-release-study-ntsr-2023-report>

